आर.ई.ओं– 293

CIN:U40109RJ2000SGC016486

प्रभास्मिशशिसूर्ययोः

जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय विधुत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

कार्यालय मुख्य अभियंता (पीपीएम)

पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर– 302006

(फोन नं. 0141–2202441)

Website:www.energy.rajasthan.gov.org/jvvnl, email: ceppm@jvvnl.org,

क्र. जे.पी.डी. / मु.अ.(पी.पी.एम) / अधी.अभि.(आर.ई) / अधि.अभि.(II) / प. /प्रे. 891 दि 23.03.2022

आदेश

विषयः– वर्ष 2022–23 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

पूर्व में निगम से जारी आदेश क्रमांक 341 दि. 05.10.2020 (आर.ई.ओ.–290) द्वारा सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 31.12.2012 तक पंजीकृत आवेदक एवं सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदन एवं अनुसूचित जाति, तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता पर जारी करने का प्रावधान किया गया था।

माननीय मुख्यमंत्री की वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट घोषणा में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के लक्ष्य के क्रम में डिस्कॉम कॉर्डिनेशन फोरम की दिनांक 08.03.2022 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में वर्ष 2022–23 में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है

सामान्य श्रेणी

प्रथम चरण – सामान्य श्रेणी के दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र दिनाकं 01.04.2022 से 15.04.2022 की समयावधि में जारी किये जावेंगे।

द्वितीय चरणः– सामान्य श्रेणी के दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2015 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र दिनाकं 01.07.2022 से 15.07.2022 की समयावधि में जारी किये जावेंगे।

सामान्य वर्ग श्रेणी एवं अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदकों को मांग पत्र इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जमा किया जावे कि "आज दिनांक तक आवेदक के आवेदित तथा अन्य खेत में राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा पम्प सैट योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा (भारत सरकार के अलावा) देय अनुदान पर संबंधित विभाग द्वारा सोलर पम्प सेट स्थापित नहीं किया गया है एवं ना ही प्रक्रियाधीन है।"

तुंरत प्राथमिकता

बूंद–बूंद / फव्वारा / डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत सभी आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से किया जावे।

सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नही कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिए सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में भेजकर जानकारी देना सभी वृत्ताधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

मांग पत्र व कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति–2017 एवं इसके पश्चात समय–समय पर जारी होने वाले आर.ई.ओ. एवं अन्य संबंधित आदेशों के अनुसार जारी किये जायेंगे।

उक्त आदेश तीनों विधुत वितरण निगमों पर लागू होगे।

23/3/22

मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अति मुख्य सचिव उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक ,माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
4. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
5. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/ जोधपुर।
6. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/भरतपुर/कोटा।
7. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (CA-HQ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी/जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
9. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम)अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
10. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
11. प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
13. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
15. प्रावैधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
17. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।

23/3/22

मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर